दोहरा कवार क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में रोहडू तहसील के चौहारा खंड का अभ्यावेदन

4734. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश की रोहडू तहसील में चौहारा खण्ड, विशेषकर दोहरा कवार क्षेत्र, को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए कई वर्षों से विकास खण्ड समिति और इस खण्ड के जनता के प्रतिनिधियों के अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को अब तक न स्वीकार करने के क्या कारण हैं जबकि इस खण्ड के दोनों ओर के अर्थात् उत्तर में किन्नौर और दक्षिण में जौंसर बाबर आदिवासों क्षेत्र हैं और इस तहसील के इस क्षेत्र और उक्त दोनों उत्तरी और दक्षिणी आदिवासि क्षेत्रों की आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहन और परम्पराएं पूरी तरह से एक-दूसरे के पुरक हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मांग पर कब विचार करेगी और यदि हां, तो इस क्षेत्र को कब तक आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) संविधान की पाँचवी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के लिए मुख्य मानदण्ड उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रमुखता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा की थी किन्तु इससे सहमत होना संभव नहीं हुआ है क्योंकि इस समय ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या या तो नगण्य है अथवा नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एसोसिएशनों/ट्रेड यूनियनों के लिए सुविधाएं

4735. **श्री बनवारी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 के वेतन आयोग की सिफारिशों पर, सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एसोसिएशनों/कौंसिलों/यूनियनों/फेडरेशनों के लिए ट्रेड यूनियन जैसी मान्यता के आधार पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/रेल यात्रा भत्ता/विशेष बोनस आदि प्रदान किया था और यदि हां, तो किस तारीख और वर्ष से उन्हें ये सुविधाएं प्रदान की गई थीं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों को दी गई सुविधाएं जाति के आधार पर वापस ले ली गई हैं और यदि हां, तो किस तारीख से ये सुविधाएं वापस ली गई हैं ; और

(ग) उन्हें ये सुविधाएं पुनः प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।